

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : सामान्य/राजपत्रित/2023/334 दिनांक : 14/9/23

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की अनुपालना में राजकीय कार्य राजकाज मॉड्यूल पर ऑनलाईन माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निदेशालय को भिजवाये जाने वाले प्रस्ताव राजकाज मॉड्यूल ई-डाक माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर ऑफलाईन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

अतः समस्त नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है भविष्य में सभी पत्राचार राजकाज ई-डाक के माध्यम से ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : सामान्य/राजपत्रित/2023/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक राजस्थान।
3. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
7. समस्त नियंत्रण अधिकारी राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

① पत्रावली सार्वजनिक

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर।  
Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation: Director

Date :08-09-2023 03:22:13